

प्राककथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 के सेक्शन 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में रखने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 तथा 2 में मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखों तथा विनियोग लेखों की जांच के उपरांत सामने आए मामलों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान वर्ष के दौरान 'वित्तीय रिपोर्टिंग' पर अध्याय 3 विहंगावलोकन तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधियों तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति को दर्शाता है।

इस प्रतिवेदन में विभिन्न विभागों की लेन-देनों की लेखापरीक्षा तथा निष्पादन लेखापरीक्षा की अभ्युक्तियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, बोर्ड तथा सरकारी कंपनियों एवं राजस्व क्षेत्र के प्रतिवेदन की अभ्युक्तियों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

